

न्यायालय, समाहत्ता,-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एकट, 1946 का नियम 139)

०१६-४५/१४१८

३७

आदेश पत्रक-ता०

से।

जिला—खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार—बिहार मध्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.

आदेश पर की गई¹
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी

तारीख—सहित

3.

15.06.2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3101/सी०आ० दिनांक 12.06.2017 द्वारा खगड़िया थाना कांड संख्या—222/2017 दिनांक 07.04.2017 धारा—30(ए) बिहार मध्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम—2016 के अन्तर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब— Royal Stag कम्पनी का 375 एम०एल० का 240 (दो सौ छालीस) बोतल, एवं 750 एम०एल० का 45 (पैतालिस) बोतल, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 375 एम०एल० का 04 (चार) बोतल एवं 750 एम०एल० का 02 (दो) बोतल विदेशी शराब जॉच हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार कुम्हरार, पटना को भेजा गया है, तथा शेष 375 एम०एल० का 236 (दो सौ छठीस) बोतल, 750एम०एल० का 43 (तैतालिस) बोतल कुल—120.75 लीटर थाना के मालखाना में रखा हुआ है।

750 एम०एल० का Royal Stag कम्पनी का 43 (तैतालिस) बोतल एवं 375 एम०एल० का 236 (दो सौ छठीस) विदेशी शराब कुल—120.75 लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं प्रतिवेदन—02 संलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मध्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा—57 में प्रक्षत शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि पसराहा थाना कांड संख्या—222/2017 जप्त देशी/विदेशी शराब कुल—120.75 (एक सौ बीस लीटर 75 एम०एल०) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहत्ता, खगड़िया।



समाहत्ता, खगड़िया।